Supply Appeal Case No. 21/2010

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख

13-3-20

आदेश

प्रस्तुत अपील वाद **माननीय उच्च न्यायालय, पटना के** **ा0डब्लू0जे0सी0सं0-4351/2017 में पारित आदेश दिनांक 21.12.19 के आलोक** **पुनः सुनवाई हेतु प्रारंभ की गई है। उक्त आदेश के आलोक में अपीलार्थी दिनेश** **मार रजक, पिता स्व0 रामेश्वर रजक, सा0-रानीपतरा बाजार, थाना-मुफ्फसिल,** **ला-पूर्णिया** को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस भेजा गया। अपीलार्थी द्वारा पने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 03.30.20 एवं आज की नवाई में उपस्थित होकर पक्ष रखा गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा इस वाद में तत्कालीन माहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.12 को निरस्त कर दिया ा है। यह अपील वाद **अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के ज्ञापांक 932/आ0 दिनांक** **).12.2009 के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा दिनांक 02.02.10** **दायर किय गया था जिसमें सुनवाई कर दिनांक 30.03.12 को अपील आवेदन** **स्वीकृत कर दिया गया।**

दिनांक 30.03.12 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के वलोकन से स्पष्ट होता है कि भौतिक सत्यापन के क्रम में अन्त्योदय, 0पी0एल0 एवं अन्नपूर्णा योजना का अनाज भंडार अलग-अलग नहीं था ा अन्त्योदय का भंडार पंजी दिनांक 26.08.2009 से 28.08.2009 तक ली था तथा बिक्री पंजी भी अधूरा था। इसके अतिरिक्त भंडार में 3.25 ंटल गेहूँ, 17.19क्विंटल चावल एवं 174 लीटर किरासन तेल कम पाया ा।

इस संबंध में आवेदक के अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है भंडार के सत्यापन के क्रम में अनुमान के आधार पर कमी दिखाया गया, ाकि भंडार में पंजी के अनुसार सामग्री एवं किरासन तेल मौजूद था। दिनांक .08.2009 से 28.08.2009 तक सामग्री का वितरण नहीं हुआ था लिए वह खाली था। पुनः माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त सदंर्भित देश के आलोक में अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा)डब्लू0जे0सी0सं0-11095/2008 तथा अन्य कई वादों में पारित आदेश,)एल0जे0आर0-2013 (3) पेज नं0-956 से 961 एवं)डब्लू0जे0सी0सं0-19352/2012 में पारित आदेश दिनांक 11.03.14 की ाप्रति प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता । बताया गया कि विभागीय निदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना । पारित विभिन्न आदेश के आलोक में ...

कार्रवाई की गई है। इस प्रकार निम्न न्यायालय का आदेश विधि-सम्मत नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पूर्व के आदेश को रद्द कर दिया गया है। अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति रद्द रखने का कोई आधार नहीं है। अतएव अपील आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (7 ई0सी0 एक्ट) पूर्णिया को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध कई गंभीर आरोप प्रतिवेदित है इनके द्वारा अनुज्ञप्ति शर्तो का उल्लघंन किया गया है। जहॉ तक अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति निलंबित एवं रद्द करने का प्रश्न है, विभागीय निदेश के आलोक में कार्रवाई की गई है। दिनांक 30.09.09 को निर्गत निलंबन आदेश के पश्चात् अपीलार्थी से द्वितीय कारणपृच्छा प्राप्त कर उनकी अनुज्ञप्ति दिनांक 29.12.2009 को रद्द की गई है। अनुज्ञप्ति निलंबित होने के बाद 90 दिनों के अन्दर निर्णय लेने का विभागीय निदेश पूर्व में था, जिसके आलोक में 90 दिनों के अन्दर निर्णय लेकर उनकी अनुज्ञप्ति रद्द की गई।

अपीलार्थी का अपील आवेदन, अपीलार्थी द्वारा समर्पित कागजात, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0 डब्लू0 जे0सी0सं0-4351/2017 में पारित आदेश दिनांक 21.12.19 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक 932/आ0 दिनांक 29.12.2009 के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अपीलार्थी के विरूद्ध कई गंभीर आरोप प्रतिवेदित हैं। भंडार पंजी में सामग्री एवं किरासन तेल की मात्रा कम पाये जाने के संबंध में अपीलार्थी द्वारा संतोषजनक तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके पूर्व भी मध्याहन् भोजन योजना अन्तर्गत खराब चावल आपूर्ति किये जाने के आरोप में अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति दिनांक 28.09.2007 को निलंबित की गई थी, जिन्हें कड़ी चेतावानी के साथ निलंबन से मुक्त किया गया था, जिससे यह परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी आदतन रूप से अपने दुकान का संचालन नियमानुसार नहीं किया करते थे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी के दावे को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ।

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ।